न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/273

चिन्ता पुत्री कंवर लाल जाति काछी निवासी खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज.

– अपीलांट

बनाम

1. अणदी बाई पुत्री रूगनाथी पुत्री कंवर लाल जाति काछी निवासी सिलोर तहसील बून्दी
2. शम्भू लाल रूगनाथी पुत्री भंवर लाल जाति काछी निवासी सीलोर तहसील बून्दी
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. राधेश्याम पुत्र डालू राम जाति काछी निवासी खेड़ारसूलपुर हाल निवासी बोरखेड़ा कोटा राजस्थान(नाम डिलीट)

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री हुकुमचन्द जैन, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 16.12.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सब डिविजनल अधिकारी सांगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 138/2014 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि वादीगण की माता रघुनाथी बाई व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो कंवरलाल की पुत्रियां थी और कंवरलाल की मृत्यु के बाद उनकी खाते व कब्जे की आराजी की दोनो उत्तराधिकारी होने की वजह से उस पर काबिज हुई। कंवर लाल के खाते में ग्राम जालखेड़ा में आराजी खसरा संख्या 194 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा एवं आराजी ख0 न0 130 रकबा 2 बीघा, 12 बिस्वा, 140 रकबा 3 बीघा 10 बीघा भूमि स्थित थी, जिसमें कंवरलाल की मृत्यु के उपरान्त आराजी खसरा सख्या 194 का पृथक खाता जिसमें रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा दर्ज था, जिसका फोती नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 14.03.1972 को कंवरलाल के मरने के बाद उनकी एक मात्र उत्तराधिकारी व

वारिसान चिन्ता व रघुनाथी दोनो का नाम दर्ज हुआ। जिसमें रघुनाथी व चिन्ता बराबर से 1/2 की खातेदार दर्ज हुई, किन्तु आराजी खसरा संख्या 130 व 140 की 2 किता रकबा 24 बीघा 2 बिस्वा, जिसका पृथक खाता था, को चिन्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर नामान्तरकरण संख्या 153 में गलत तथ्य अंकित करवाते हुये कंवर लाल की तन्हा वारिस बताकर अपने नाम दर्ज करवा लिया, जबकि उनकी एक पुत्री रघुनाथी और थी, और वह भी चिन्ता के साथ आराजी खसरा संख्या 130 व 140 में अपना नाम दर्ज करवाने की अधिकारी थी, क्योंकि आराजी खसरा संख्या 194 का नामान्तरकरण खुलते समय जब कंवर लाल की दो पुत्रियां मौजूद थी, चिन्ता व रघुनाथ, तो नामान्तरकरण संख्या 153 जो आराजी खसरा 130 व 140 के बारे में खोला गया, कंवरलाल की मृत्यु के बाद, उसमें भी रघुनाथी 1/2 की हिस्सेदार थी। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बदयान्ति आ जाने की वजह से उसने चुपचाप तन्हा अपना नाम दर्ज करवा लिया। जिसे वादीगण अपनी माता के हिस्से व अधिकार की भूमि होने के आधार पर दुरूस्त करवा कर अपने खाते दर्ज करवाने की अधिकारी है। भू–प्रबन्ध से पूर्व के खसरा संख्या 194 के नवीन खसरा नम्बर 422 रकबा 1.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 130 व 140 के नवीन खसरा नम्बरान 191, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 208, 209 कुल किता 10 रक़बा 4.71 हैक्टेयर कायम किए गए। वादग्रस्त आराजीं वादीगण के नाना कंवरलाल जी की आराजी थी, और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी माता रघुनाथी बाई, जो कि कंवरलाल की पुत्री थी, 1/2 हिस्सेदार व खातेदार बनी व काबिज रही और उसकी मृत्यु के बाद वादीगण उसके पुत्र व पुत्री होने के आधार पर एवं रघुनाथी बाई के वास्तविक उत्तराधिकारी होने के आधार पर उसके 1/2 हिस्से की भूमि का बंटवारा कराकर अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है एवं राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर प्रतिवादी संख्या 1 ने तन्हा अपना नाम दर्ज करवा लिया है, उसे दुरूस्त करवा कर 1/2 में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। आराजी को तन्हा प्रतिवादी संख्या 1 ने गलत तौर पर अपने नाम दर्ज करवा लिया है, और वह बाला बाला उक्त आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है, जबकि उक्त आराजी में कंवरलाल जी से प्राप्त हुई आराजी है जिस पर उनकी दो पुत्रियां चिन्ता व रघुनाथी, बराबर से 1/2, 1/2 की हिस्सेदार थी, और रघुनाथी की मृत्यु होने के बाद रघुनाथी के 1/2 हिस्से की भूमि के वादीगण हकदार है, जिसके बंटवारे हेतु व दुरूस्ती हेतु कई बार प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन कर चुके है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 सदैव दुरूस्ती एवं बंटवारे हेतु टालमटोल करती रही, और दिनांक 24.08.2007 को वादीगण से प्रतिवादी संख्या 1 ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि वह कोई बंटवारा नहीं करेगी और ना ही दुरूस्ती करवायेगी, और ना ही 1/2 की उन्हें खातेदार बनायेगी, बल्कि शीघ्र ही वह सारी जमीन को खुर्द बुर्द कर विक्रय कर देगी, और यह सारा झगड़ा ही खत्म कर देगी। प्रस्तुत वाद का वाद कारण भूमियां कंवर लाल जी के खाते की होने व उनकी दोनो पुत्रियों रघुनाथी व चिन्ता, जायज उत्तराधिकारी व वारिस होने के आधार पर समान रूप से 1/2, 1/2 की हकदार होने तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दुरूस्ती व बंटवारा कराने से दिनांक 24.08.2007 को स्पष्ट इन्कार करते हुए भूमियां

अतिशीघ्र खुर्द–बुर्द करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के न्याय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे–(1) वादपत्र की मद संख्या 3 में वर्णित खसरा नम्बर 130 व 140 की क्रमशः 20 बीघा 12 बिस्वा, 3 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम जालखेड़ा, जो कंवरलाल के खाते की भूमियां है, में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ही वादीगण को 1/2 का खातेदार घोषित करते हुए 1/2 रिकॉर्ड में वादीगण का नाम दर्ज कर दुरूस्ती व अमल दरामद किया जावे। (2) उक्त खसरा संख्या 130 व 14 का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर वादीगण के 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खाते से हटाकर वादीगण को पृथक खातेदार घोषित कर वादीगण के पृथक खाते दर्ज की जावे व पृथक लगान राज कायम कर मौके पर पृथक पृथक काबिज कराते हुए पत्थरगढ़ी कराई जावे। उक्त बंटवारा अच्छी में से अच्छी व हल्की में से हल्की भूमि के आधार पर किया जावे। (3) प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे, कि रिकॉर्ड में गलत रूप से नाम दर्ज होने के आधार पर गत खसरा संख्या 130 व 140 की भूमि, जिसके नये नम्बर 191, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 208, 209 कायम किये गये है, उसे व उसके भाग को खुर्द बुर्द न करें। वाद व्यय व अन्य सहायता हो वह वादीगण को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.05.2022 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम जालखेड़ा तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 194 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 130 रकबा 20 बीघा, खसरा संख्या 140 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 422, 191, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 208, 209, रकबा 4.71 हैक्टेयर है, में वादीगण को सम्मिलित रूप से 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2022 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2022 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2022 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील

सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अपील के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 राधेश्याम की ओर से हस्तगत अपील में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.11.2022 को प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर अपने आदेश दिनांक 11.01.2023 के द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 राधेश्याम को हस्तगत अपील में पक्षकार कायम किया गया। अपील के विचाराधीन रहते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 4 राधेश्याम द्वारा दिनांक 15.10.2025 को प्रार्थी राधेश्याम द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नगत खसरा नम्बर 194 की भूमि को स्वयं की खरीदशुदा भूमि होना बताकर पृथक से सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाने का कथन किया तथा हस्तगत अपील से प्रार्थी राधेश्याम का नाम विलोपित किए जाने का निवेदन किया। प्रार्थी राधेश्याम की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 15.10.2025 पर उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा अनापत्ति प्रकट की गई तथा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 25.11.2025 के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 4 का नाम विलोपित किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 2–5–2022 को प्रतिवादनी अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। प्रतिवादनी अपीलान्ट की अनुपस्थिती में अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री सादर फरमाने में त्रुटि की है। जिसकी सूचना भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादनी अपीलान्ट को अथवा उसके वकील साहब को नहीं दी गई थी। प्रतिवादनी अपीलान्ट के हर तारीख पर उपस्थित होने के लिये वकील साहब ने मना कर दिया था एवं फैसला होने पर सूचना देने का आश्वासन दिया था प्रतिवादनी अपीलान्ट वकील साहब के भरोसे रही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जेर अपील की प्रतिवादनी अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 17–8–2022 को पटवारी हल्का द्वारा बतलाने पर हुई थी। दिनांक 17–8–2022 से पूर्व प्रतिवादनी अपीलान्ट की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की काई जानकारी नहीं थी । उक्त प्रकार दिनांक 17–8–2022 को सर्व प्रथम निर्णय व डिक्री जेरअपील की जानकारी होने पर प्रतिवादनी अपीलान्ट ने मालूमात कर निर्णय व डिक्री जेरअपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये दिनांक 18–8–2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एव डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रतिवादनी अपीलान्ट को दिनांक 19–8–2022 को प्राप्त हुई थी। अन्य दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर प्रतिवादनी अपीलान्ट अविलम्ब यह अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। जो सर्व प्रथम जानकारी की तारीख 17–8–2022 से निर्णय व डिक्री जेर अपील की

प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के दिन मुजरा करने पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि दिनांक 2–5–22 से 17–8–22 तक जानकारी के दिन व नकल के दिन मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य स्वीकार फरमायी जावे।

7. अपील के विचाराधीन रहते हुए विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया तथा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्रों के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत है तथा अपील के न्यायिक निस्तारण में सहायक है। प्रार्थना–पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेज न्यायालय के रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां है जिन पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना–पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत नहीं है तथा अपील के निस्तारण में सहायक नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित नहीं है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. खारिज किए जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. व उनके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेज न्यायालय के रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति है जिस पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। उक्त दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत होना प्रतीत होते है अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किए जाते है। प्रार्थना–पत्रों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो व लिखित बहस में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय एवं अंतिम डिकी जैर अपील विधि, न्याय एवं पत्रावली के रिकार्ड पर स्थित तथ्यों के सर्वथा प्रतिकूल होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण रेस्पो० नं० 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत हक घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन आराजी एवम् स्थायी निषेधाज्ञा प्राथमिक रूप से डिक्री फरमा कर ग्राम जालखेडा तहसील लाडपुरा जिल कोटा की साबिक खसरा नम्बर 194 की 6 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 की 20 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 140 की 3 बीघा 10 बिस्वा कृषि

आरजीयात जिसके नवीन खसरा नम्बर 422, 191, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 208, 209 रकबा 4.71 हेक्टर में वादीगण रेस्पो० नं0 1 व 2 को सम्मिलित रूप से 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी अपीलान्ट को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किये जाने का, उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का, उक्तानुसार राज लगान का अंकन पृथक से अमल दरामद किया जाकर हिस्से पृथक से दर्ज कर विभाजन रिपोर्ट तैयार करने हेतु तहसीलदार सांगोद को कमिश्नर नियुक्त किये जाने का निर्णय व डिक्री सादिर फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री में संशोधन किये जाने का दिनांक 5–8–2022 को निर्णय पारित करने में तदनुसार लाल स्याही से नोट अंकित करने का निर्णय सादिर फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि ग्राम जालखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 130 की 20 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 140 की 3 बीघा 10 बिस्वा जुमला 2 किता की 24 बीघा 2 बिस्वा कृषि आराजियात को प्रतिवादनी अपीलान्ट के पिता श्री कंवरलाल जी ने प्रतिवादनी अपीलान्टा चिन्ता की शादी के समय प्रतिवादनी अपीलान्ट एवं उसके पति कंवरलाल जी को कन्या दान में दे दी थी। प्रतिवादनी अपीलान्ट एवं उसके पति श्री कंवरलालजी के शादी पंडित श्री रघुनाथजी निवासी खेडा रसूलपुर ने करवाई थी। जिनकी मृत्यु हो चुकी है। फेरो की रस्म व कन्यादान के मय जवाब दावे में लिखेनुसार रिश्तेदारान एवं ग्राम वासियान मोजूद थे। प्रतिवादनी अपीलान्टा की शादी के समय से ही प्रतिवादनी अपीलान्ट एवं उसके पति उपरोक्त भूमि पर निरन्तर बिना किसी बाधा के तनहा रूप से काबिज चले आ रहे है। इस तथ्य की वादीगण की माता श्रीमती रघुनाथी व वादीगण को शुरू से ही जानकारी है। इसी कारण वादीगण की माता श्रीमती रघुनाथी ने अपने जीवनकाल में दावा नहीं किया था। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादीगण रेस्पो० नं0 1 व 2 डिक्री फरमा कर निर्णय व डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि प्रतिवादनी अपीलान्ट एवं उसके पति श्री कंवरलाल जी ने वादीगण की माता श्रीमती रघुनाथी का एवं उसकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण को शुरू से ही आउट कर रखा है। इस तथ्य की वादीगण की माता श्रीमती रघुनाथी को भी जानकारी थी। वादीगण की माता श्रीमती रघुनाथी का एवं वादीगण का उपरोक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है तथा वर्तमान में भी कब्जा नहीं है। वादीगण एवम् श्रीमती रघुनाथी द्वारा कब्जा वापस प्राप्त करने की मियाद समाप्त हो चुकी थी। श्रीमती रघुनाथी एवं वादीगण के उपरोक्त भूमि पर तथाकथित हक हकूक समाप्त (Extingnish) हो गये है। इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमा कर दावा वादीगण रेस्पो० नं० 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद को अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री फरमा कर निर्णय व डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि वाद विषयक अपील विषयक उपरोक्त आराजियात प्रतिवादनी अपीलान्ट के खाते सही रूप से नियमानुसार दर्ज की गयी थी इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादीगण रेस्पो० नं० 1 व 2 डिक्री फरमा कर निर्णय व डिक्री जेर अपील प्रद्वान करने में त्रुटि

की है। खसरा नम्बर 194 की 6 बीघा 19 बिस्वा भूमि अपीलांट के पिता कवंरलाल द्वारा अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दी गई है जो उसी के कब्जे में है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त 7–तनकीयात का निर्णय वादीगण रेस्पो० नं0 1 व 2 के पक्ष में प्रतिवादनी अपीलान्ट के विरूद्ध सादिर फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादनी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शहादत को एप्रीशिएट किये बिना ही निर्णय व डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम जालखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 130 व 140 की भूमि कानूनन उत्तराधिकार में प्राप्त करने का हक होना मानकर तनकी नम्बर 1 का निर्णय उनके पक्ष में निर्णित फरमा कर उन्हे उपरोक्त भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार होना मानकर तनकी नम्बर 1 का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण रेस्पो० नं0 1 व 2 के पक्ष में एवं प्रतिवादनी अपीलान्ट के विरूद्ध सादिर फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने एडवर्स पजेशन लागू नहीं होना मान कर कन्यादान की प्ली आफ्टर थोट होना मान कर तनकी नम्बर 2 का निर्णय प्रतिवादनी अपीलान्ट के विरूद्ध सादिर फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त भूमि कन्यादान में प्रतिवादनी अपीलान्ट के पिता कंवरलाल जी द्वारा प्रतिवादनी अपीलान्ट व उसके पति को देना प्रमाणित नही होना मानने में त्रुटि की है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादनी अपीलान्ट के पिता व पति दोनों का नाम कंवरलाल जी है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादनी अपीलान्ट का अपील विषयक आराजियात पर आउस्टर के सिद्धान्त के आधार पर स्वामित्व होना सिद्ध नहीं होना मान कर तनकी नम्बर 5 का निर्णय वादीगण रेस्पो० नं० 1 व 2 के पक्ष में प्रतिवादनी अपीलान्ट के विरूद्ध सादर फरमाने में त्रुटि की है अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 6 व 7 का निर्णय प्रतिवादनी अपीलान्ट के विरूद्ध सादिर फरमाने में त्रुटि की है। वादीगण रेस्पो0नं0 1 व 2 की माता श्रीमती रघुनाथी ने वादीगण रेस्पो0नं० 1 व 2 को उपरोक्त आराजी से कई वर्षो पूर्व ही आउट कर दिया था। इस तथ्य को प्रतिवादनी अपीलान्ट ने प्रमाणित कर दिया था इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्रीमती अंजना सहरावत के विरूद्ध अपीलान्ट ने दिनांक 30–3–2022 को ट्रांसफर एप्लीकेशन माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत कर दी थी जिसमें दिनांक 31–3–2022 को तत्कालीन पीठसीन अधिकारी जी से टिप्पणी तलब की गयी थी। टिप्पणी तलबी का उक्त एनवलप अपीलान्ट ने उसके पुत्र के साथ जाकर उप खण्ड अधिकारी सांगोद के कार्यालय में से दिनांक 18–4–2022 को प्रस्तुत कर दिया था उक्त एनवलप प्राप्त होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी जी ने प्रकरण में दिनांक 2–5–2022 के निर्णय व डिक्री सादिर फरमाने में त्रुटि की है। पीठासीन अधिकारी जी के विरुद्ध ट्रांसफर एप्लीकेशन पेश हो जाने की जरिये एनवलप सूचना होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी जी ने वादीगण रेस्पो० नं० 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत दावा डिक्री फरमाने में त्रुटि की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व

डिकी दिनांक 02.05.2022 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 05.08.2022 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार रही है तथा अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे वाद में प्रत्येक कार्यवाही की भलि–भांति जानकारी रही है। इसके बावजूद भी अपीलांट ने जानबूझकर विलम्ब से अपील पेश की है। अपीलांट का यह कथन कि वकील साहब द्वारा अपीलांट को सूचना नहीं दी गई, निहायत ही असत्य व बनावटी कथन है जो स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि कानून की अवधारणा के अनुसार एक बार पक्षकार उपस्थित होकर अधिवक्ता नियुक्त कर कार्यवाही में निरन्तर उपस्थित होता रहता है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वह हर तारीख की जानकारी रखे और वैसे भी अधिवक्ता की जानकारी पक्षकार की जानकारी मानी जाती है। इसलिये जानकारी होने के बावजूद भी अपीलांट द्वारा विलम्ब से अपील पेश की गई है। प्रार्थना–पत्र में पटवारी हल्का द्वारा बताने पर जानकारी होना भी अंकित किया गया है जबकि इस सम्बंध में पटवारी का कोई शपथ–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिये यह कथन भी कानूनन मान्य नहीं है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजी कवंरलाल के खाते की भूमि है। नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 14/03/1972 के द्वारा कवंरलाल जी के मरने के बाद उनकी दोनो पुत्रियों चिन्ता व रघुनाथी का नाम कवंरलाल के खाते की खसरा नम्बर 194 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा में दर्ज हुआ। रघुनाथी व चिन्ता बराबर से 1/2 हिस्से की खातेदार दर्ज हुई परन्तु खसरा नम्बर 130 व 140 कुल किता 2 कुल रकबा 24 बीघा 2 बिस्वा भूमि को रघुनाथी के नाम 1/2 हिस्से अनुसार दर्ज नहीं कर अकेले चिन्ता के नाम दर्ज किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। कंवरलाल की पुत्री होने की हैसियत से कंवरलाल के खाते की खसरा संख्या 130 व 140 की भूमि में रघुनाथी स्वयं का 1/2 हिस्सा दर्ज करवाने की अधिकारी है। अतः वादीगण रेस्पोडेन्टगण रघुनाथी के पुत्र व पुत्री होने की हैसियत से सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा स्वयं के नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। खातेदार कवंरलाल की निर्वसीयत मृत्यु हुई है। वादग्रस्त आराजी की कंवरलाल द्वारा कोई वसीयत अपीलांट के पक्ष में नहीं की गई है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट को कन्यादान में नहीं दी गई है। कन्यादान में आराजी दिए जाने के समर्थन में अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। कंवरलाल द्वारा अपीलांट को वादग्रस्त आराजी का अपने जीवनकाल में कोई दान–पत्र अथवा वसीयत भी निष्पादित नहीं की गई है।

निर्वसीयत मृत्यु होने से मृतक कंवरलाल के खाते की भूमि पर उसकी दोनो पुत्रियों अपीलांट एवं वादीगण की माता रघुनाथी बाई का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 व 9 के अनुसार प्रत्येक पुत्री का 1/2, 1/2 अधिकार निहित है। अपीलांट द्वारा लम्बे कब्जे के आधार पर वादग्रस्त आराजी में स्वयं का हक अधिकार होने का कथन किया गया है परन्तु कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद को वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम की गई है। उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना में तनकीवार निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी का विधि अनुसार विवेचन करते हुए निष्कर्ष पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित तनकीवार निष्कर्ष में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2022 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2022 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम जालखेड़ा तहसील

लाडपुरा की खसरा संख्या 422, 191, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 208, 209 कुल किता 10 कुल रकबा 4.71 हैक्टेयर आराजी में स्वयं के तथाकथित 1/2 हिस्से की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न Ex-1 जमाबंदी सम्वत् 2060–2063 के अनुसार ग्राम जालखेड़ा की खाता संख्या 46 की खसरा संख्या 422 रकबा 1.01 हैक्टेयर भूमि चिन्ता, रूगनाथी पुत्री कंवरलाल जाति काछी सा.देह की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। Ex-2 जमाबंदी सम्वत् 2060–2063 के अनुसार ग्राम जालखेड़ा की खाता संख्या 45 की खसरा संख्या 191, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 208, 209 कुल किता 9 रकबा 3.70 हैक्टेयर भूमि चिन्ता पुत्री कंवरलाल कौम काछी सा. रसूलपुर की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। Ex-3 जमाबंदी भू–प्रबन्ध सम्वत् 2038 से 2057 के अनुसार ग्राम जालखेड़ा की खाता संख्या 9 की खसरा संख्या 191, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 208, 209 कुल किता 9 रकबा 3.70 हैक्टेयर भूमि चिन्ता पुत्री कंवरलाल कौम काछी सा. रसूलपुर की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। Ex-4 जमाबंदी भू–प्रबन्ध सम्वत् 2016 से 2024 के अनुसार ग्राम जालखेड़ा की खसरा संख्या 194 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा भूमि कंवरलाल वल्द गणेशराम कौम काछी सा. देह की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। Ex-5 मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038 से 2057 के अनुसार गत खसरा नम्बर 130 मि. के नवीन खसरा नम्बरान 191, 193, 194, 195, 197, 198, 199 तथा गत खसरा नम्बर 140 मि. के नवीन खसरा नम्बर 208, 209 बने होने का अंकन है। Ex-6 नामान्तकरण संख्या 153 दिनांक 18.09.1976 के अनुसार ग्राम जालखेड़ा तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 130 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा व खसरा संख्या 140 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 24 बीघा 2 बिस्वा भूमि में भवंरलाल पुत्र दुलीचन्द हिस्सा 1/4, शंकर, माधो, पांच्या पिस. गोपाल हिस्सा 3/4 कोम काछी साकिन रसूलपुर के स्थान पर चिन्ता पुत्री कंवरलाल काछी सा0 रसूलपुर दर्ज किए जाने का अंकन है। Ex-7 ग्राम जालखेड़ा तहसील लाडपुरा के नामान्तकरण संख्या 58 दिनांक 14.03.1972 के अनुसार खसरा संख्या 194 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा भूमि में कंवरलाल वल्द गणेशराम कौम काछी सा. देह के स्थान पर चिन्ता, रूगनाथी बेटी कंवरलाल काछी का नाम दर्ज किए जाने का अंकन है। Ex-5A लगायत 10A रसीदें है। Ex-8 मृत्यु प्रमाण पत्र है जिसमें रूघनाथी बाई की मृत्यु की दिनांक 29.05.2007 अंकित है। Ex-9A ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र है जिस पर दिनांक 29.05.2007 अंकित है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम जालखेड़ा तहसील लाडपुरा की गत खसरा संख्या 130 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा एवं गत खसरा नम्बर 140 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का स्वयं को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किए जाने एवं तदनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किए जाने का अनुतोष चाहा है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण का कथन है कि प्रश्नगत गत खसरा नम्बर 130 व 140 की भूमि उनके नाना कंवरलाल जी के खाते की भूमि है तथा वादीगण मृतक कवंरलाल की मृतक पुत्री रघुनाथी बाई के विधिक वारिसान व उत्तराधिकारी होने से कंवरलाल के खाते की गत खसरा नम्बर 130 व 140 की भूमि में निहित रघुनाथी बाई के तथाकथित 1/2 हक हिस्से को स्वयं के नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038 से 2057 के अनुसार प्रश्नगत गत खसरा नम्बर 130 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 140 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा एवं गत खसरा नम्बर 194 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा भूमि के भू–प्रबन्ध के पश्चात नवीन खसरा नम्बरान 422, 191, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 208,

209 कुल किता 10 कुल रकबा 4.71 हैक्टेयर बने है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण का वादपत्र में यह भी कथन रहा है कि ग्राम जालखेड़ा तहसील लाडपुरा की गत खसरा संख्या 194 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा भूमि कंवरलाल के पृथक खाते की भूमि दर्ज रही है तथा कंवरलाल की मृत्यु के पश्चात खोले गये फोती नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 14.03.1972 के द्वारा उक्त गत खसरा नम्बर 194 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा भूमि कंवरलाल की दोनो पुत्रियों चिन्ता व वादीगण रेस्पोडेन्टगण की माता रघुनाथी के नाम बराबर बराबर खाते दर्ज हुई है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण का तर्क है कि जिस प्रकार से नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 14.03.1972 के द्वारा कंवरलाल की मृत्यु के पश्चात कवंरलाल की पुत्री रघुनाथी का नाम दर्ज किया गया, उसी तर्ज पर प्रश्नगत गत खसरा नम्बर 130 व 140 की भूमि के सम्बंध में खोले गए नामान्तरकरण संख्या 153 दिनांक 18.09.1976 के आधार पर प्रश्नगत खसरा नम्बर 130 व 140 की 1/2 हिस्से की भूमि रघुनाथी के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक था। अतः वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा स्वयं को कंवरलाल की पुत्री रघुनाथी बाई के उत्तराधिकारी एवं वारिस होना बताकर वाद प्रस्तुत किया गया है तथा इसी आधार पर प्रश्नगत गत खसरा नम्बर 130 व 140 की भूमि में हक घोषणा एवं बंटवारे का अनुतोष चाहा है। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद एवं उभयपक्षकारान द्वारा स्वीकृत है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण मृतक खातेदार कंवरलाल की मृतक पुत्री रघुनाथी बाई के वारिसान है तथा खातेदार कंवरलाल के दो पुत्रियां चिन्ताबाई अपीलांट एवं वादीगण रेस्पोडेन्टगण की माता रघुनाथी बाई है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा जिस नामान्तकरण संख्या 58 दिनांक 14.03.1972 के आधार पर कंवरलाल की मृत्यु के पश्चात उनकी माता रघुनाथी व चिन्ता बाई अपीलांट का नाम दर्ज होने का कथन किया है, उक्त नामान्तरकरण संख्या 58 गत खसरा नम्बर 194 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम जालखेड़ा तहसील लाडपुरा की भूमि का है जो जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 के अनुसार कंवरलाल के खाते दर्ज रही है, तथा कंवरलाल की मृत्यु के पश्चात इस नामान्तरकरण संख्या 58 से गत खसरा नम्बर 194 की भूमि कंवरलाल की दोनो पुत्रियों चिन्ता बाई व रघुनाथी बाई के खाते दर्ज हुई है, उक्त गत खसरा नम्बर 194 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा के भू–प्रबन्ध के पश्चात नवीन खसरा नम्बर 422 रकबा 1.01 हैक्टेयर कायम किए गए है तथा जमाबंदी सम्वत् 2060 से 2064 वास्तविक सम्वत् 2060 के अनुसार चिन्ता व रघुनाथी दोनो के नाम खाते दर्ज हुई है तथा जमाबंदी सम्वत् 2064 से 2067 वास्तविक सम्वत् 2064 के अनुसार प्रश्नगत खसरा नम्बर 422 की भूमि अकेले चिन्ता पुत्री कंवरलाल की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रश्नगत गत खसरा नम्बर 194 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा(नवीन खसरा नम्बर 422 रकबा 1.01 हैक्टेयर) की भूमि राजस्व अभिलेख में ग्राम जालखेड़ा तहसील लाडपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2064 से 2067 वास्तविक सम्वत् 2064 के अनुसार खाता संख्या 45 में दर्ज रिकॉर्ड है तथा प्रश्नगत गत खसरा नम्बर 130 व 140 नवीन खसरा नम्बरान 191, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 208, 209 कुल किता 9 रकबा 3.70 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में जमाबंदी सम्वत् 2064 के अनुसार ग्राम जालखेड़ा तहसील लाडपुरा की खाता संख्या 46 में दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 के अनुसार ग्राम जालखेड़ा की खाता संख्या 9 की प्रश्नगत खसरा नम्बर 194 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा भूमि कंवरलाल वल्द गणेशराम के खाते दर्ज है, अर्थात प्रश्नगत गत खसरा नम्बर 194 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा(नवीन खसरा नम्बर 422 रकबा 1.01 हैक्टेयर) की भूमि प्रारंभ से ही कंवरलाल के खाते दर्ज रही है। प्रश्नगत गत खसरा नम्बर 130 मि. व गत खसरा नम्बर 140 मि. के नवीन खसरा नम्बरान 191, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 208, 209 कुल

किता 9 रकबा 3.70 हैक्टेयर बने है, उक्त आराजी ग्राम जालखेड़ा तहसील लाडपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 के अनुसार खाता संख्या 33 में दुलीचन्द, शंकर, माधो पांच्या पि. गोपाल कोम काछी के खाते दर्ज है, अर्थात प्रश्नगत गत खसरा नम्बर 130 व 140 एवं खसरा नम्बर 422 की भूमियां पृथक–पृथक खातेदारान की भूमियां है जो उनके पृथक–पृथक खाते दर्ज रही है। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत गत खसरा नम्बर 130 व 140 की भूमि वादीगण रेस्पोडेन्टगण के नाना कंवरलाल अथवा वादीगण रेस्पोडेन्टगण की माता रघुनाथी बाई के खाते दर्ज नहीं रही है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा भी ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रश्नगत गत खसरा नम्बर 130 मि. व गत खसरा नम्बर 140 मि. नवीन खसरा नम्बरान 191, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 208, 209 कुल किता 9 रकबा 3.70 हैक्टेयर बने है की आराजी पूर्व में कवंरलाल अथवा रघुनाथी बाई के खाते दर्ज होना सिद्ध होता हो। वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा गत खसरा नम्बर 130 व 140 की भूमि में स्वयं को कंवरलाल की पुत्री रघुनाथी बाई के वारिस एवं उत्तराधिकारी होने के आधार पर हक अधिकार निहित होने का कथन किया गया है, परन्तु हमारे मत में गत खसरा नम्बर 130 व 140 की भूमि कंवरलाल के खाते की भूमि नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में केवल कंवरलाल अथवा रघुनाथी के विधिक उत्तराधिकारी होने के आधार पर वादीगण रेस्पोडेन्टगण का प्रश्नगत खसरा नम्बर 130 व 140 की भूमि में हक अधिकार निर्धारित नहीं किए जा सकते। प्रश्नगत खसरा नम्बर 130 व 140 की भूमि पूर्व में दुलीचन्द, शंकर, माधो पांच्या पि. गोपाल कोम काछी के खाते दर्ज थी। वादग्रस्त आराजी भवंरलाल पुत्र दुलीचन्द, शंकर, माधो, पांच्या पिस. गोपाल के खाते से कंवरलाल के खाते दर्ज नहीं होकर नामान्तकरण सख्या 153 दिनांक 19.09.1976 के द्वारा सीधे ही अपीलांट चिन्ता बाई पुत्री कंवरलाल के खाते दर्ज हुई है। अतः प्रश्नगत खसरा नम्बर 130 व 140 की भूमि वादीगण रेस्पोडेन्टगण के नाना कंवरलाल अथवा माता रघुनाथी बाई के खाते की अथवा उनकी पुश्तैनी भूमि नहीं होने से वादीगण रेस्पोडेन्टगण का प्रश्नगत खसरा नम्बर 130 व 140 की भूमि में कोई हक अधिकार निहित होना सिद्ध नहीं होता है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 के निष्कर्ष में वादीगण रेस्पोडेन्टगण को प्रश्नगत खसरा नम्बर 130 व 140 की भूमि को उत्तराधिकार में प्राप्त करने का अधिकारी माना है जो त्रुटिपूर्ण है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 2 में पारित निष्कर्ष में प्रश्नगत खसरा नम्बर 130 व 140 की भूमि को वादीगण रेस्पोडेन्टगण की पैतृक सम्पत्ति होना एवं उत्तराधिकार में प्राप्त होने का जो अंकन किया है वह त्रुटिपूर्ण है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण का यह तर्क है कि प्रश्नगत खसरा नम्बर 130 व 140 की भूमि कंवरलाल द्वारा खरीद की गई है परन्तु उक्त अराजी के खरीद किए जाने के समर्थन में कोई दस्तावेज भी वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101 के अनुसार वादी को अपना वाद ठोस दस्तावेज एवं साक्ष्यों द्वारा स्वयं सिद्ध करना आवश्यक है। परन्तु वादीगण रेस्पोडेन्टगण प्रश्नगत खसरा नम्बर 130 व 140 की भूमि को कंवरलाल के खाते की भूमि होना अथवा स्वयं की पुश्तैनी भूमि होना प्रमाणित करने में असफल रहे है। अतः वादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत वाद प्रमाणित नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। जहां तक प्रश्नगत गत खसरा नम्बर 194 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा(नवीन खसरा नम्बर 422 रकबा 1.01 हैक्टेयर) की भूमि में वादीगण रेस्पोडेन्टगण के हक अधिकारों का प्रश्न है, हस्तगत वाद में वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रश्नगत गत खसरा नम्बर 194(नवीन खसरा नम्बर 422 रकबा 1.01 हैक्टेयर) की भूमि के सम्बंध में कोई अनुतोष अपीलांट

के विरूद्ध नहीं चाहा गया है। हस्तगत अपील में इस न्यायालय से भी वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रश्नगत गत खसरा नम्बर 194 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा (नवीन खसरा नम्बर 422 रकबा 1.01 हैक्टेयर) भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। साथ ही वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने न्यायालय हाजा में दिनांक 27.10.2025 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1(3) सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत करके गत खसरा नम्बर 194 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा (नवीन खसरा नम्बर 422 रकबा 1.01 हैक्टेयर) के सम्बंध में हस्तगत अपील में कोई अनुतोष नहीं चाहने का कथन किया है तथा प्रश्नगत खसरा नम्बर 422 रकबा 1.01 हैक्टेयर के सम्बंध में चाही गई रिलीफ को विड्रो करने का निवेदन किया गया है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण का कथन रहा है कि प्रश्नगत खसरा नम्बर 422 रकबा 1.01 हैक्टेयर भूमि वादीगण रेस्पोडेन्टगण की माता रघुनाथी बाई एवं अपीलांट के संयुक्त खाते की भूमि है जो उनके पृथक खाते दर्ज रही है। उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.10.2025 में वादीगण रेस्पोडेन्टगण यह भी कथन रहा है कि नामान्तकरण संख्या 265 से प्रश्नगत खाता संख्या 45 की खसरा संख्या 422 रकबा 1.01 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण रेस्पोडेन्टगण की माता रघुनाथी बाई का नाम त्रुटिपूर्ण रूप से हटा दिया गया था तथा उक्त नामान्तकरण संख्या 265 के विरूद्ध वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में अपील पेश की गई है जो विचाराधीन है। हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत गत खसरा नम्बर 194 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा (नवीन खसरा नम्बर 422 रकबा 1.01 हैक्टेयर) के सम्बंध में उभयपक्षकारान के द्वारा किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। चूंकि वादीगण रेस्पोडेन्टगण स्वयं का कथन है कि गत खसरा नम्बर 194 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा (नवीन खसरा नम्बर 422 रकबा 1.01 हैक्टेयर) की आराजी के सम्बंध में खोले गए जिस त्रुटिपूर्ण इन्तकाल संख्या 265 के आधार पर वादीगण रेस्पोडेन्टगण की माता रघुनाथी बाई का नाम विलोपित किया गया है, उक्त इन्तकाल संख्या 265 के विरूद्ध वादीगण रेस्पोडेन्टगण के कथनानुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में अपील विचाराधीन है। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा भी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्धन्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में प्रश्नगत खसरा नम्बर 194 के सम्बंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया गया है। अपने कथनों के समर्थन में रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के वाद संख्या 126/2025 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है जो पत्रावली में संलग्न है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण रेस्पोडेन्टगण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में विचाराधीन वाद संख्या 126/2025 एवं नामान्तरकरण संख्या 265 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में विधिक प्रकिया के तहत आपना पक्ष रखकर प्रश्नगत गत खसरा नम्बर 194 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा (नवीन खसरा नम्बर 422 रकबा 1.01 हैक्टेयर) की भूमि के सम्बंध में वांछित अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। चूंकि गत खसरा नम्बर 194 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा (नवीन खसरा नम्बर 422 रकबा 1.01 हैक्टेयर) के सम्बंध में हस्तगत प्रकरण में उभयपक्षकारान के द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है तथा प्रश्नगत गत खसरा नम्बर 130 व 140 नवीन खसरा नम्बरान 191, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 208, 209 कुल किता 9 रकबा 3.70 हैक्टेयर भूमि में वादीगण रेस्पोडेन्टगण स्वयं का हक अधिकार प्रमाणित करनें में असफल रहे है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत गत खसरा नम्बर 130 व 140 नवीन खसरा नम्बरान 191, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 208, 209 कुल किता 9 रकबा 3.70 हैक्टेयर भूमि को वादीगण रेस्पोडेन्टगण के खाते दर्ज किए जाने का जो आदेश अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2022 में अंकित किया है वह त्रुटिपूर्ण

होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2022 व संशोधित निर्णय दिनांक 05.08. 2022 निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 138/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2022 व संशोधित निर्णय दिनांक 05.08.2022 निरस्त किए जाते है।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

13. निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/12/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
कोटा

Judl/Govt.
Part 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2024/273

चिन्ता पुत्री कंवर लाल जाति काछी निवासी खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज.

– अपीलांट

बनाम

1. अणदी बाई पुत्री रूगनाथी पुत्री कंवर लाल जाति काछी निवासी सिलोर तहसील बून्दी
2. शम्भू लाल रूगनाथी पुत्री भंवर लाल जाति काछी निवासी सीलोर तहसील बून्दी
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. राधेश्याम पुत्र डालू राम जाति काछी निवासी खेड़ारसूलपुर हाल निवासी बोरखेड़ा कोटा राजस्थान(नाम डिलीट)

–रेस्पोडेन्टगण

प्रकरण संख्या: 138/2014

1. अणदी बाई पुत्री रघुनाथी पुत्री कंवर लाल जाति काछी निवासी सिलोर तहसील बून्दी
2. शम्भूलाल पुत्र रघुनाथी पुत्री कंवरलाल जाति काछी निवासी ग्राम सिलोर बून्दी।

– वादीगण

बनाम

1. चिन्ता पुत्री कंवर लाल जाति काछी निवासी खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज.
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 138/2014 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.05.2022 की अपील न्यायालय राजस्व अपील

, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

क्त अपील तारीख 16.12.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री हुकुमचन्द जैन तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री शम्भूदयाल विजय के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.05.2022 व संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.08.2022 निरस्त की जाती है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 16.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

16/12/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
कोटा